

अंचल अधिकारी प्रो.वि.उ.ए. का कार्यालय

अभिलेख जाच संख्या- 384

जाच का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-भी अनुज्ञ मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.03.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- अरमा थाना- 36, खाता संख्या- 22 प्लॉट संख्या- 254, रकबा- 5037, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 01, के पृष्ठ संख्या- 78, पर जमाबंदी रैयत अधु गो के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के दुरुद्ध कायम जामबंदी को प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अन्वय पर/ अवैध लगान निर्धारण के अन्वय पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19-2-16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

होता है। पर/ अ...
 आकार पर/ सदा सुव्यवस्था में...
 पर/ को प्रति कायित करना है।
 ... दुर्घटा उपर्युक्त से... जिसका...
 ... नीत होती है किया जाना बांछनीय...
 ... नोटिस निर्गत कर... तथा उनको का...
 ... (अनुच्छेद) मूम...
 ... सित किया

19.2.16 कमिश्नेर उपल्लापिन। नोटिस का तागिया
 या (न) परका (उपल्लापिन। उपल्लापिन
 के ठिकेय मे उनके दू।।। लगान (लीड) -
 बापा यति यतुन किप गमा है धम
 भरे साक्ष्य गये यतुनकी किप गमा
 है। कमिश्नेर दिनांक 26/3/16 को लिखे।

कंपन कर्मिदार
 गोविंदयु।



1. संदिग
2. जम
- 3.
- 4.

26.7.16

कमिश्नेर- उपल्लापिन- । नोटिस का तागिया- (न-)
 परका- उपल्लापिन- । उपल्लापिन शक्ति के ठिकेय- मे परका
 दार- अनुभव- पदादि- नारी- के कार्यालय- धन बाद- ~~का~~
 जमीन- अदोवत- का परका के ह नो 59 (I) 86-87 का
 दायित्व लगान- 24/15 का दायित्व- जमा किया- गया है।
 कमिश्नेर आदेशावधि रहे।

कंपन कर्मिदार
 गोविंदयु।

